भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआरडीएआई/सीए/सीआईआर/विविध/64/05/2025

Ref: IRDAI/CA/CIR/MISC/64/05/2025 दिनांक / Date: 09.05.2025

प्रतिः अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और बीमाकर्ता

To: The Chairman, Concerned Regional Rural Banks (RRBs) and Insurers

विषयः उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित कारपोरेट एजेंसी विषय जिनका समामेलन 1 मई, 2025 से और उसके बाद हुआ है

Subject: Corporate Agency Matters Concerning RRBs Amalgamated from 1st May, 2025 and Beyond

1. परिपत्र का विस्तार

यह परिपत्र उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए लागू है जिनका समामेलन राजपत्र अधिसूचना सं. सीजी-डीएल-ई-07042025-262329 दिनांक 5 अप्रैल, 2025, अथवा इस संबंध में जारी की गई किसी अनुवर्ती अधिसूचना के अनुसार 1 मई, 2025 से प्रभावी रूप में हुआ है। इस परिपत्र के प्रयोजनों के लिए शब्द `अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' और `अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' के अर्थ वही होंगे जो उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना में इनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

2. पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण

उक्त समामेलन के अनुसरण में, कारपोरेट एजेंट के रूप में जारी रहने के लिए अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा, समामेलित हो रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा धारित एक पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रतिधारित किया जा सकता है। अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अनुसार नाम और पते में परिवर्तन के लिए (यदि लागू हो) प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

पूर्व के अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के द्वारा धारित सभी अन्य पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) एक औपचारिक लिखित अनुरोध के द्वारा प्राधिकरण को अभ्यर्पित किये जाएँगे। उक्त अभ्यर्पण यह पुष्टि करते हुए अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) द्वारा दिये जानेवाले एक वचन-पत्र के अधीन होगा कि वह समामेलित संस्थाओं के वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग में निरंतरता को सुनिश्चित करेगा। यह संबंधित अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) से पूर्व में संबद्ध बीमाकर्ताओं

के साथ उपयुक्त व्यवस्था करने के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी लंबित विनियामक विषयों को समामेलन की प्रभावी तारीख से 90 दिन के अंदर पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसे जीएसटी की बकाया राशि और विवरणियों की फाइलिंग, आदि।

उस स्थिति में जब अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और संबंधित बीमाकर्ता कोई करार नहीं करते, बीमाकर्ता संबंधित पालिसी शर्तों की समाप्ति तक संबंधित अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के वर्तमान पालिसीधारकों की सर्विसिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

3. कारपोरेट एजेंसी करारों का सुमेलन

क. वर्तमान बीमा व्यवस्थाओं की अस्थायी निरंतरता

आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 3 के उपबंधों के होने के बावजूद, अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समामेलन की प्रभावी तारीख से 12 महीने की अवधि के लिए 27 से अधिक बीमाकर्ताओं के साथ व्यवस्थाएँ जारी रख सकते हैं। यह अनुमति एकमात्र तौर पर अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से वर्तमान बीमा व्यवस्थाओं का अंतरण करने के प्रयोजन के लिए दी जाती है।

इस प्रकार का अंतरण अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम को प्रतिबिंबित करने के लिए जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रत्येक वर्तमान कारपोरेट एजेंसी करार के साथ एक परिशिष्ट निष्पादित करने के द्वारा संचालित किया जाएगा। यह व्यवस्था पूर्णतया वर्तमान व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए है तथा इसे इस अवधि में अतिरिक्त बीमाकर्ताओं के साथ नई कारपोरेट एजेंसी व्यवस्थाएँ करने के लिए अनुमोदन के रूप में नहीं माना जाएगा।

ख. संशोधित बोर्ड नीति का प्रस्तुतीकरण

समामेलन की प्रभावी तारीख से 60 दिन के अंदर, अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्राधिकरण को एक संशोधित, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्रस्तुत करेगा। इस नीति में अनिवार्यतः खुली संरचना को अपनाने के लिए बैंक के दृष्टिकोण की रूपरेखा दी जाएगी तथा वह विधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसमें बीमा उत्पादों की अपेक्षा (सलिसिटेशन) और सर्विसिंग की जाएगी। यह प्रस्तुतीकरण आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 20(1) के अनुसार होगा।

4. **अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) का अंतरण**

अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) के अंतरण से संबंधित कार्रवाई अंतरित किये जानेवाले संशोधित विनिर्दिष्ट व्यक्तियों (एसपी) की सूची प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह सूची अवश्य ई-मेल के द्वारा corp.agent@irdai.gov.in को प्रस्तुत करेगा। संशोधित एसपी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार, उनका पीओ प्रमाणपत्र रखने के लिए अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के एक **प्रधान अधिकारी (पीओ)** को अनुमति दी जाएगी। अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सभी अन्य प्रधान अधिकारियों के पीओ प्रमाणपत्र स्वतः **निरस्त हो जाएँगे**।

5. **अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए नवीकरण कमीशन**

अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अंतरणकर्ता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जीवन बीमा व्यवस्थाओं के अंतर्गत नवीकरण कमीशन प्राप्त करने के लिए, केवल पालिसीधारकों की सर्विसिंग करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएँ करने के बाद ही पात्र होंगे।

प्राधिकरण समामेलन की प्रभावी तारीख से, आवश्यक समझे गये रूप में अंतरिती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से किन्हीं भी अतिरिक्त दस्तावेजों के लिए अनुरोध कर सकता है।

6. **विधिक प्राधिकार**

ये अनुदेश आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(ङ) के उपबंधों के अधीन जारी किये जाते हैं।

1. Scope of the Circular

This circular applies to Regional Rural Banks (RRBs) that have undergone amalgamation effective from 1st May, 2025, in accordance with Gazette Notification No. CG-DL-E-07042025-262329 dated 5th April, 2025, or any subsequent notification issued in this regard. For the purposes of this circular, the terms Transferor Regional Rural Banks and Transferee Regional Rural Banks shall bear the same meanings as assigned to them in the aforementioned Gazette Notification.

Ac

2. Surrender of Certificate of Registration (COR)

Pursuant to the amalgamation, one Certificate of Registration (COR) held by the merging RRBs may be retained by the Transferee Regional Rural Banks for continuing as a Corporate Agent. The Transferee RRB shall apply to the Authority for change of name and address (if applicable) in accordance with the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

All other CORs held by the erstwhile Transferor RRBs shall be surrendered through a formal written request to the Authority. The Surrender shall be subject to an undertaking from the Transferee RRB, confirming that it will ensure continuity in servicing the existing policyholders of the merged entities. This shall be achieved by entering into appropriate arrangements with the insurers previously associated with the respective Transferor RRBs. The Transferee Regional Rural Banks shall be responsible to clear all regulatory pending matters of Transferor Regional Rural Banks such as GST arrears and filing of returns, etc., within 90 days from the effective date of amalgamation.

In the event that the Transferee RRB and any concerned insurer do not arrive at an agreement, the insurer shall remain responsible for servicing the existing policyholders of the relevant Transferor RRB until the expiry of the respective policy terms.

3. Harmonisation of Corporate Agency Agreements

A. Temporary Continuation of Existing Insurance Arrangements

Notwithstanding the provisions of Regulation 3 of the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015, the Transferee Regional Rural Banks may continue to have arrangements with more than 27 insurers for a period of 12 months from the effective date of amalgamation. This is permitted solely for the purpose of transferring existing insurance arrangements from the Transferor Regional Rural Banks.

Such transfer shall be carried out by executing an addendum to each existing corporate agency agreement, where required, to reflect the name of the Transferee Regional Rural Bank. This provision is strictly for the continuation of existing arrangements and shall not be treated as approval to enter into new corporate agency agreements with additional insurers during this period.

B. Submission of Revised Board Policy

Within 60 days from the effective date of amalgamation, the Transferee Regional Rural Bank shall submit to the Authority a revised, Board-approved policy. This policy must outline the bank's approach to adopting open architecture and specify the manner in which insurance products will be solicited and serviced. The submission shall be in accordance with Regulation 20(1) of the IRDAI (Registration of Corporate Agents) Regulations, 2015.

4. Transfer of Specified Persons (SPs) from Transferor to Transferee Regional Rural Banks

The transfer of Specified Persons (SPs) from the Transferor Regional Rural Banks to the Transferee Regional Rural Bank will be processed by the Authority upon receiving a list of revised SPs to be transferred. The Transferee Regional Rural Bank must submit this list via email to corp.agent@irdai.gov.in. There will be no fee for the issuance of revised SP certificates.

One **Principal Officer (PO)** from the Transferor Regional Rural Bank will be allowed to retain their PO certificate, as decided by the Transferee Regional Rural Bank. The PO certificates issued to all other Principal Officers of the Transferor RRBs **shall stand cancelled** automatically.

5. Renewal Commission for the Transferee Regional Rural Bank

The Transferee Regional Rural Banks will be eligible to receive renewal commissions under the life insurance arrangements of the Transferor Regional Rural Banks only after making suitable arrangements to service the policyholders.

The Authority may request any additional documents from the Transferee Regional Rural Bank, as deemed necessary, from the effective date of amalgamation.

6. Legal Authority

These instructions are issued under the provisions of Section 14(2)(e) of the IRDA Act, 1999.

सत्यजीत त्रिपाठी

(सत्यजीत त्रिपाठी / Satyajit Tripathy)
सदस्य (वितरण) / Member (Distribution)